भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1635

(जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2015 को दिया गया)

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की पूर्व चेतावनी प्रणाली परियोजना

1635. श्री हुसैन दलवई :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा शुरू की गई पूर्व चेतावनी प्रणाली परियोजना को स्थगित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) धोखाधड़ियों की पहचान करने में प्रस्तावित प्रतिस्थापन प्रणाली किस प्रकार से प्रभावी होगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): वर्ष 2013-14 के दौरान एक पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। संतोषजनक परिणाम न मिलने के कारण इस प्रणाली को छोड़ दिया गया क्योंकि इससे कई गलत निष्कर्ष प्राप्त हुए थे।

(ख): शुरूआती स्तर पर कपटपूर्ण कार्यकलापों की पहचान के प्रयास में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का बाजार अनुसंधान और विश्लेषण एकक (एमआरएयू) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के साथ-साथ अन्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। कपट का पता लगाने या उसकी पहचान करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों द्वारा लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करके इस प्रकार प्राप्त चेतावनियों की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जानी

होती है। इसके अतिरिक्त, एमआरएयू की फोरेंसिक प्रयोगशाला डिजिटल आंकड़ा विश्लेषण द्वारा जांच टीम की सहायता करती है।

*****